

२९/१६

पत्रावली के तहत पेक्षा हुई व कुलाय पक्षकार
 अनुपस्थित। वाडीगण व वाडीगण के कोई
 समय में तीन बार तीन तीन कलाके दिलाई
 गयी बाबजूद कवाजे दिलान के वाडीगण व
 वाडीगण के रुचिबलता अनुपस्थित। ततः
 उक्त कनवान प्रकरण वाडीगण भी रुदन
 हाजरी व रुदन चैरवी के खारिज किया
 जाता है पत्रावली विषय सुनार होकर
 दाखिल इफ्तार है।

दिनांक
 28/11/16

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी